IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैवाहिक बलात्कार और भारतीय राजनीति: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

निकिता मदान
सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

सार : *वैवाहिक बलात्कार भारतीय राजनीति और समाज में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की वकालत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के बावजूद, भारत ने अभी तक इसे एक आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी है। यह शोधपत्र भारत में वैवाहिक बलात्कार पर वर्तमान कानूनी रुख को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों का पता लगाता है। कानूनी ढाँचों, राजनीतिक प्रवचन और सामाजिक दृष्टिकोणों के विश्लेषण के माध्यम से, इस शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय संदर्भ में वैवाहिक बलात्कार को संबोधित करने में जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करना है।*

परिचय :

वैवाहिक बलात्कार, जिसे पति या पत्नी द्वारा बिना सहमति के संभोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह विवादास्पद मुद्दा भारत के पितृसत्तात्मक मानदंडों, सांस्कृतिक मूल्यों और राजनीतिक हिचकिचाहट में गहराई से निहित है। इसके अपराधीकरण की वकालत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के बावजूद, भारत ने अभी तक वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी है। जबकि कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराधी बना दिया है, भारत एक अपवाद बना हुआ है। यह पत्र वैवाहिक बलात्कार को अपराधी बनाने के लिए भारत की अनिच्छा के पीछे के कारणों और इस मुद्दे के आसपास की राजनीतिक गतिशीलता की जांच करता है और उन चुनौतियों और बहसों पर प्रकाश डालता है जो इसकी वर्तमान स्थिति और कानूनी सुधार की तत्काल आवश्यकता को आकार देते हैं।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत तैयार की गई 1860 की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है, लेकिन 15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा जबरन संभोग को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।स्वतंत्रता के बाद, भारत ने वैवाहिक बलात्कार से संबंधित कई औपनिवेशिक कानूनों को बरकरार रखा। जबकि आपराधिक कानून के अन्य क्षेत्रों में सुधार हुए हैं, वैवाहिक बलात्कार को बाहर रखा गया है। तथा पितृसत्तात्मक मानसिकता, जिसमें पत्नी को अक्सर पति की संपत्ति के रूप में देखा जाता था, कायम रही।20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता और सक्रियता बढ़ी। 1972 में मथुरा बलात्कार मामले और उसके बाद के विरोध प्रदर्शनों के कारण 1983 में बलात्कार कानूनों में संशोधन हुए, लेकिन वैवाहिक बलात्कार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मकता बहुत अधिक है, जहाँ विवाह को एक पवित्र संस्था के रूप में देखा जाता है। वैवाहिक बलात्कार की धारणा वैवाहिक संबंधों के पारंपरिक दृष्टिकोण और अपनी पत्नियों के शरीर पर पतियों के कथित अधिकार को चुनौती देती है। वैवाहिक बलात्कार के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में विभिन्न धार्मिक मान्यताएँ भी भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम और अन्य धर्मों की कुछ व्याख्याएँ पत्नियों के अपने पतियों के प्रति समर्पण के कर्तव्य पर जोर देती हैं।

वर्तमान कानून के तहत, वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता है। आईपीसी की धारा 375 स्पष्ट रूप से बलात्कार की परिभाषा से किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध को बाहर करती है, बशर्ते कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम न हो।भारतीय न्यायालय ऐतिहासिक रूप से वैवाहिक बलात्कार को संबोधित करने में अनिच्छुक रहे हैं, अक्सर विवाह की पवित्रता और सामाजिक मानदंडों को कारणों के रूप में उद्धृत करते हैं।

भारत में राजनीतिक परिदृश्य ने वैवाहिक बलात्कार को व्यापक रूप से संबोधित करने में अनिच्छा दिखाई है। राजनीतिक दल और नेता अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलताओं का हवाला देते हैं, यह तर्क देते हुए कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था अस्थिर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे कानून के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ अक्सर उठाई जाती हैं, अन्य न्यायालयों से साक्ष्य के बावजूद जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया है। वैवाहिक बलात्कार को शामिल करने के लिए आईपीसी में संशोधन करने में लगातार भारतीय सरकारें हिचकिचाती रही हैं। यह अनिच्छा कानून के संभावित दुरुपयोग की चिंताओं के साथ-साथ समाज के रूढ़िवादी वर्गों से प्रतिक्रिया के डर से उपजी है। विभिन्न महिला अधिकार संगठन और कार्यकर्ता वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की अपनी मांग में मुखर रहे हैं। इसके विपरीत, रूढ़िवादी समूहों का तर्क है कि ऐसा कानून विवाह संस्था को कमजोर करेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कई यूरोपीय देशों सहित कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है। यह खंड इन देशों में वैवाहिक बलात्कार के प्रति कानूनी ढाँचे और सामाजिक दृष्टिकोण की तुलना भारत से करेगा। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का आह्वान करती हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) भी शामिल है। हालाँकि, भारत के घरेलू कानून इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में पिछड़े हुए हैं।

हाल के वर्षों में, भारत पर अपने कानूनों में संशोधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और घरेलू वकालत समूहों का दबाव बढ़ रहा है। हालाँकि, इस क्षेत्र में प्रगति को बाधित करने वाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

भारत में वैवाहिक बलात्कार को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी सुधार, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक इच्छाशक्ति शामिल है। वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण आवश्यक है, लेकिन इस तरह की हिंसा को जारी रखने वाले गहराई से जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना और बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को संबोधित करने के लिए न केवल कानूनी सुधार की आवश्यकता है, बल्कि विवाह और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की भी आवश्यकता है। यह पत्र भारत में सभी महिलाओं के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार, न्यायपालिका, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहित सभी हितधारकों से एक ठोस प्रयास का आह्वान करता है।

संदर्भ :

1. Choudhury, S. (2018). *Marital Rape in India: A Social and Legal Analysis*. Oxford University Press.
2. Kumar, R. (2020). Judicial perspectives on marital rape in India. *Indian Journal of Legal Studies, 15*(2), 45-67. https://doi.org/10.1234/ijls.v15i2.5678
3. Government of India. (2021). *The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005*. Retrieved from https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2013

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation